जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाउस, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर 342 003 फोन नं. 0291 2651313 (का) फैक्स नं 2741870

क्रमांकः– अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु–पीपीएम/पत्रा.सामान्य/प्रेरा. 1188 जोधपुर, दिनांक 9/10/2003

# आदेश

विषय :– कृषि कनेक्शन को किसी भी विद्युतिकृत ग्राम में आंशिक क्रय भूमि पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।

***

निगम के आदेश क्रमांक 1384 दिनांक 9/10/2002 (आर.ई.ओ.–32) के द्वारा अकाल की स्थिति को ध्यान मे रखते हुये यह निर्णय लिया गया था कि कई कृषकों के कुऐ सूख गये है तथा वे दूसरी जगह आंशिक भूमि क्रय कर वहाँ कुंआ खुदवा कर पाईप के द्वारा अपनी पुराने जमीन की सिंचाई करना चाहते है। अतः आंशिक क्रय भूमि पर भी अपनी जमीन सिंचाई हेतु कृषि कनेक्शनों को स्थानान्तरित कर दिये जाने का प्रावधान किया गया था। परन्तु इसके बारे मे दूरी की सीमा निश्चित नहीं की गई थी।

अतः समन्वय समिति की 61 वीं बैठक दिनांक 8/9/2003 मे निर्णय लिया गया है कि नई जगह पर आंशिक क्रय की गयी भूमि से पुरानी जमीन की सिंचाई के लिये पाईप लाईन की लम्बाई एक किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(आर.एस.चौधरी)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।